मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक / 389 / 1294 / एनआर–14 / 2013 भोपाल, दिनांक 11 / 01 / 2013

// आदेश //

महात्मा गांधी राष्ट्रीय गामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 27 (1) के अधीन प्राप्त भारत शासन, ग्रामीण विकास मंत्रालय के आदेश क्रमांक J-11011/21/2008-NREGA, दिनांक 07 सितंबर, 2009 के अनुसार मनरेगा योजना में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व बनाये रखने के सिद्धांत, के तहत योजना के क्रियान्वयन के संबंध में प्राप्त जन शिकायतों की समयबद्ध जांच हेतु मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अधिनियम,1981 के अन्तर्गत गठित संभागीय सतर्कता समितियों के प्रत्येक सदस्य को उससे संबंधित संभाग के एक या एक से अधिक जिलों के लिए मनरेगा लोकपाल घोषित किया जाता है।

मनरेगा लोकपाल के लिए कार्य नियम पृथक से जारी किए जाएंगे।

म.प्र.के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सन्जेश राजौरा)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्रमांक 390 / 1294 / एनआर–14 / एमजीएनआरईजीएस / 2013 भोपाल,दिनांक 11 जनवरी,2013

प्रतिलिपि :

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. सचिव,म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की ओर सूचनार्थ।
3. सचिव, लोकायुक्त संगठन, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद की कार्यकारिणी समिति की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. विकास आयुक्त, मध्यप्रदेश, विंध्याचल भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. आयुक्त, पंचायतराज, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. आयुक्त,म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद,भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. नियंत्रक, शासकीय मद्रणालय, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर राजपत्र में प्रकाशनार्थ।

(सन्जेश राजौरा)।
सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

D:\g drive data\ACS.letter-12.doc